**भारत सरकार**
**आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय**
**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न सं. 3072**
**21 दिसंबर, 2023 को उत्तर के लिए**

## सभी के लिए आवास' योजना के अंतर्गत आवास

**3072. श्री जी.एम. सिद्देश्वरः**

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तमिलनाडु और कर्नाटक में 'सभी के लिए आवास' संबंधी सरकार के विजन के अंतर्गत वर्ष 2019 से 2023 की अवधि के दौरान जिला-वार कुल कितने आवासों का निर्माण किया गया है;

(ख) उक्त राज्यों में इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इस परिकल्पना के अंतर्गत किफायती आवासों के निर्माण की स्वीकृति के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा आगामी पांच वर्षों के दौरान सभी पात्र लोगों को आवास उपलब्ध कराने के लिए क्या प्रभावी उपाय किए गए हैं और इसके लिए कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

**उत्तर**
**आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री**
**(श्री कौशल किशोर)**

(क) और (ख) : पीएमएवाई-यू के तहत वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2022-2023 के दौरान तमिलनाडु और कर्नाटक में पूर्ण किए गए आवासों का जिले-वार विवरण क्रमशः अनुलग्नक- । और अनुलग्नक- ॥ में दिया गया है। शुरुआत से लेकर वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2022-2023 के दौरान पीएमएवाई-यू के तहत तमिलनाडु और कर्नाटक में स्वीकृत और जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण अनुलग्नक-।॥ में है।

(ग) से(ड): 'भूमि' और 'कॉलोनीकारण' राज्य के विषय हैं। शहरी गरीबों के लिए आवास से संबंधित योजनाएं अपने-अपने क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वित की जाती हैं। तथापि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना - शहरी (पीएमएवाई-यू) 'सभी के लिए आवास' मिशन के तहत देश भर में सभी पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी सुविधाओं सहित पक्के आवास उपलब्ध कराने हेतु केंद्रीय सहायता प्रदान करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के

प्रयासों में सहायता प्रदान कर रहा है । इस योजना के चार घटक अर्थात लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण/संवर्द्धन (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), "स्व-स्थाने" स्लम पुनर्विकास (आईएसएसआर) और ऋण संबद्ध सब्सिडी योजना (सीएलएसएस) है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमएवाई-यू योजना का कार्यान्वयन, जिसमें मांग का आकलन, परियोजनाएँ बनाने, लाभार्थियों का चयन आदि शामिल है, संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाता है। पीएमएवाई-यू एक मांग आधारित योजना है और भारत सरकार द्वारा आवासों के निर्माण के लिए कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, 04.12.2023 तक, पीएमएवाई-यू के तहत 118.63 लाख आवासों को मंजूरी दी जा चुकी है, जिसमें 2 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है। स्वीकृत आवासों में से, 113.43 लाख निर्माणाधीन है; जिनमें से 78.27 लाख पूरे किए जा चुके हैं और लाभार्थियों को आवास सुपुर्द किए जा चुके हैं। पीएमएवाई-यू के तहत तमिलनाडु और कर्नाटक में स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों की संख्या का विवरण अनुलग्नक-III में है।

पीएमएवाई-यू, जो पहले 31.03.2022 तक थी, के सीएलएसएस घटक को छोड़कर फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति को बदले बिना सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए, 31.12.2024 तक बढ़ा दिया गया है। तदनुसार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट के अनुसार विस्तारित मिशन अवधि के भीतर सभी स्वीकृत आवासों को पूरा करने में तेजी लाने की सलाह दी गई है।

***

दिनांक 21-12-2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3072 के उत्तर में उल्लखित अनुलग्नक I

**पीएमएवाई-यू के तहत तमिलनाडु राज्य में वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2022-2023 के दौरान जिले वार निर्मित आवास**

| क्र. सं. | जिले का नाम | पूर्ण आवास(संख्या) |
|---|---|---|
| 1 | अरियालूर | 1,461 |
| 2 | चेंगलपट्टू | 10,557 |
| 3 | चेन्नई | 47,173 |
| 4 | कोयंबटूर | 27,531 |
| 5 | कुड्डालोर | 5,514 |
| 6 | धर्मपुरी | 4,552 |
| 7 | डिंडीगुल | 4,764 |
| 8 | इरोड | 16,036 |
| 9 | कल्लाकुरिची | 1,463 |
| 10 | कांचीपुरम | 16,794 |
| 11 | कन्याकूमारी | 11,553 |
| 12 | करूर | 3,379 |
| 13 | कृष्णागिरी | 4,878 |
| 14 | मदुरै | 21,038 |
| 15 | माइलादुत्रयी | 671 |
| 16 | नागपट्टिनम | 1,064 |
| 17 | नमक्कल | 4,761 |
| 18 | नीलगिरी | 2,635 |
| 19 | पेरम्बलूर | 1,405 |
| 20 | पुदुक्कोट्टई | 4,951 |
| 21 | रामनाथपुरम | 2,258 |
| 22 | रानीपेट | 4,225 |
| 23 | सेलम | 15,773 |
| 24 | शिवगंगा | 2,754 |
| 25 | तेनकासी | 2,836 |
| 26 | तंजावुर | 5,794 |
| 27 | थेनी | 7,219 |
| 28 | तिरुवल्लुर | 29,192 |
| 29 | थिरुवन्नमलाई | 3,356 |
| 30 | थिरुवरुर | 1,599 |
| 31 | थूथुकुडी (तूतीकोरिन) | 6,587 |
| 32 | तिरुचिरापल्ली | 9,257 |
| 33 | तिरुनेलवेली | 12,930 |

| | | |
|---|---|---|
| 34 | तिरुपथुर | 3,023 |
| 35 | तिरुपूर | 10,572 |
| 36 | वेल्लोर | 5,825 |
| 37 | विलुप्पुरम | 2,547 |
| 38 | विरुधुनगर | 4,490 |
| | **कुल** | **3,22,417** |

**दिनांक 21-12-2023** के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **3072** के उत्तर के उल्लखित अनुलग्नक **II**

**पीएमएवाई-यू के तहत कर्नाटक राज्य में वितीय वर्ष 2019-2020 से 2022-2023 के दौरान जिले वार निर्मित आवास**

| **क्र. सं.** | **जिले का नाम** | **पूर्ण आवास(संख्या)** |
|---|---|---|
| 1 | बागलकोट | 5,087 |
| 2 | बल्लारी | 4,950 |
| 3 | बेलगावी | 8,769 |
| 4 | बेंगलुरु ग्रामीण | 1,991 |
| 5 | बेंगलुरु शहरी | 57,413 |
| 6 | बीदर | 2,435 |
| 7 | बीजापुर | 9,657 |
| 8 | चामराजनगर | 1,165 |
| 9 | चिकबलपुर | 1,654 |
| 10 | चिक्कामगलुरु | 1,373 |
| 11 | चित्रदुर्ग | 2,508 |
| 12 | दक्षिण कन्नड़ | 4,363 |
| 13 | दावनगेरे | 4,191 |
| 14 | धारवाड़ | 6,026 |
| 15 | गदग | 3,885 |
| 16 | हसन | 2,034 |
| 17 | हावेरी | 4,125 |
| 18 | कलबुर्गी | 6,194 |
| 19 | कोडागू | 17 |
| 20 | कोलार | 2,565 |
| 21 | कोप्पल | 2,647 |
| 22 | मंड्या | 2,185 |
| 23 | मैसूर | 6,668 |
| 24 | रायचुर | 4,372 |
| 25 | रामानगर | 1,953 |
| 26 | शिवमोगा | 3,612 |
| 27 | तुमकुरु | 3,682 |
| 28 | उडुपी | 1,920 |
| 29 | उत्तर कन्नड़ | 2,396 |
| 30 | विजयनगर | 2,431 |
| 31 | यादगीर | 4,174 |
|  | **कुल** | **1,66,442** |

दिनांक 21-12-2023 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3072 के उत्तर के उल्लखित अनुलग्नक III

तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में पीएमएवाई-यू के तहत आरंभ से और वित्तीय वर्ष 2019-2020 से 2022-2023 के दौरान स्वीकृत, निर्माणाधीन और पूर्ण किए गए आवासों के साथ स्वीकृत/जारी की गई केंद्रीय सहायता का विवरण

| **राज्य** | **विवरण** | **आरम्भ से** | **वित्तीय वर्ष 2019-23 के दौरान*** |
|---|---|---|---|
| तमिलनाडु | स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए) | 11,207.02 | 5,297.20 |
| | जारी की गई केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए) | 9,727.75 | 5,868.60 |
| | स्वीकृत आवास (संख्या) | 6,81,795 | 3,01,262 |
| | निर्माणाधीन आवास (संख्या) | 6,61,367 | 1,86,864 |
| | पूर्ण आवास (संख्या) | 5,49,018 | 3,22,417 |
| कर्नाटक | स्वीकृत केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए) | 10,614.43 | 3,381.60 |
| | जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए) | 6,561.03 | 3,517.00 |
| | स्वीकृत आवास (संख्या) | 6,38,121 | 1,85,379 |
| | निर्माणाधीन आवास (संख्या) | 5,92,173 | 3,10,465 |
| | पूर्ण आवास (संख्या) | 3,29,815 | 1,66,442 |

*इसमें उस अवधि के दौरान निर्माणाधीन/पूर्ण आवास भी शामिल हैं जिन्हें पिछले वर्षों में मंजूरी दी गई थी।
*केंद्रीय सहायता के तहत जारी की गई निधि में वे राशियां शामिल है जो पिछले वर्षों में अनुमोदित की गई है

*****